परिवाद संख्या – 33/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		हजारी राम पुत्र बोदु राम निवासी वार्ड नम्बर 01, राजोद, जायल जिला नागौर। मैसर्सः–वीर तेजा डेयरी, बस स्टैण्ड, जायल, नमूना लेने का स्थान वाहन संख्या आर जे 37 जी ए 2869, पुलिस थाना जायल परिसर जायल जिला नागौर।

आदेश दिनांक :04.09.2024

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 17-11-2023 को मैसर्स वीर तेजा डेयरी, बस स्टैण्ड, जायल, नमूना लेने का स्थान वाहन संख्या आर जे 37 जी ए 2869, पुलिस थाना जायल परिसर जायल जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ घी (लूज) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2707 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस / 1801 / एक्ट / 2023 / 1838 दिनांक 01.12.2023 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ घी (लूज) अनसेफ होना पाया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी के असंतुष्ट होने पर उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च घी (लूज) की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार पुणे को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 22.03.2024 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त हजारी राम पुत्र बोदू राम निवासी वार्ड नम्बर 01, राजोद, जायल जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्राथी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 16-07-2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 04.09.2024 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने हमारी दुकान से घी का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेंडर्ड होना पाया गया। अप्रार्थी ने बताया कि भविष्य में खाद्य पदार्थ घी को बेचते समय ऐसी गलती नहीं करूंगा। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस / 1801 / एक्ट / 2023 / 1838 दिनांक 01.12.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (लूज) का नमूना अनसेफ होना पाया गया तत्पश्चात अप्रार्थी के असंतुष्ट होने पर उक्त खाद्य पदार्थ घी (लूज) की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार पुणे को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 22.03.2024 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ घी (लूज) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी हजारी राम पुत्र बोदू राम निवासी वार्ड नम्बर 01, राजोद, जायल जिला नागौर पर रूपये 10,000 /– अक्षरे दस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/9/24

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)